डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 1 अप्रैल, 2022, डिस्पेच दिनांक 1 अप्रैल, 2022

| वर्ष 65 | अंक 21 | भोपाल | 1 अप्रैल, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मध्यप्रदेश का कनक समान गेहूँ अब विश्व की मंडियों में बिखेरेगा अपनी चमक - श्री चौहान

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं गेहूँ निर्यातकों के साथ दिल्ली में की बैठक

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल एवं गेहूँ निर्यातकों के साथ बैठक कर मध्यप्रदेश के गुणवत्तापूर्ण गेहूँ के अंतरराष्ट्रीय निर्यात में वृद्धि के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनाज की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके, इस ओर प्रदेश सरकार एवं गेहूँ निर्यातक मिल कर सघन प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारे संयुक्त प्रयास से मध्यप्रदेश का कनक समान गेहूँ विश्व की मंडियों में अपनी चमक बिखेरेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में गेहूँ का उत्पादन प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। प्रदेश का जो गेहूँ निर्यात किया जाएगा, उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कही से भी गेहूँ खरीद सकेगा। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है, निर्यातक किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूँ खरीद सकते हैं। गेहूँ के वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियों में इंफ्रा-स्ट्रक्चर और लेब आदि की सुविधाएँ निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरुरत होगी, तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। निर्यातक को गेहूँ की ग्रेडिंग करना पड़ी, तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि रैक की कोई समस्या नहीं आएगी, निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना गेंहूँ निर्यात कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन फैसलों से प्रदेश के गेहूँ का निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के किसानों को अधिक लाभ होगा। इस बार भी सरकार की कृषि उन्मुखी नीतियों और किसानों की मेहनत के बल पर प्रदेश में बंपर फसल आ रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फ़ैज़ अहमद किदवई, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खाद्यान्न पर्ची के लिए हितग्राही कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन - खाद्य मंत्री श्री सिंह

4 करोड़ 97 लाख हितग्राही ले रहे हैं खाद्यान्न वितरण का लाभ

भोपाल : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एव उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने राशन वितरण एवं उपार्जन की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि पात्रता पर्ची के लिए नियमों को और अधिक व्यवहारिक बनाया गया है। खाद्यान्न वितरण के तहत पात्रता पर्ची के लिए अपना नाम जोड़ने के लिए हितग्राही अपना आवेदन घर बैठकर ऑन लाइन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना में अभी तक 28 पात्र श्रेणी के एक करोड़ 17 लाख परिवारों के 4 करोड़ 97 लाख पात्र हितग्राही लाभ ले रहे हैं। मंत्री श्री सिंह ने आज मंत्रालय में राशन वितरण एवं उपार्जन की समीक्षा के दौरान यह बात कही। बैठक में सहकारिता मंत्री श्री अरविन्द भदौरिया, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह एवं संचालक खाद्य श्री दीपक सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जनपद कार्यालयों से आवेदन के सत्यापन की व्यवस्था समाप्त करते हुए स्थानीय निकाय द्वारा जाँच उपरांत सत्यापन किया जाएगा। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के बाद ई-मेल अथवा मोबाइल पर व्हाटसअप के माध्यम से पात्रता पर्ची प्रदाय की जायेगी। साथ ही की जा रही कार्रवाई से हितग्राही को एसएमएस के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने मुख्यमंत्री ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय

इंदौर। दिल्ली में गेहूं निर्यातकों के साथ मप्र के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। इन निर्णयों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के किसानों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की कृषि विकास नीतियों और प्रदेश के किसानों की मेहनत के बल पर बंपर फसल आ रही है। मध्यप्रदेश में गेहूं के भंडार प्रदेश की ताकत है, इसे पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे। प्रदेश का जो गेहूं एक्सपोर्ट किया जाएगा उस पर मंडी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेंगे। मंडी में ऑनलाइन नीलामी की प्रकिया उपलब्ध है,एक्सपोर्टर किसी स्थानीय व्यक्ति से पंजीयन करवा कर गेहूं खरीद सकते हैं। निर्यातकों को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में एक्सपोर्ट सेल के जरिए निर्यातकों को हर सुविधा उपलब्ध कराएंगे।गेहूं की वैल्यू एडिशन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रदेश की प्रमुख मंडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर,लैब की सुविधाएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाई जाएगी। **(शेष पृष्ठ 6 पर)**

किसानों के गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जायेगा–मुख्यमंत्री

रबी उपार्जन एवं भंडारित धान निस्तारण एवं मिलिंग की समीक्षा

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों द्वारा उत्पादित गेहूँ का एक-एक दाना खरीदा जायेगा। उन्होंने धान का विक्रय तेजी से करने और धान की मिलिंग के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में रबी उपार्जन एवं भंडारित धान का निस्तारण एवं मिलिंग की समीक्षा कर रहे थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ खरीदी के लिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था कर ली जाये। उन्होंने कहा कि गेहूँ के निर्यात को बढ़ावा दिया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रबी पंजीयन 2022-23 के नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखकर गेहूँ का उपार्जन करें। उन्होंने कहा कि देश में मध्यप्रदेश के गेहूँ की अपनी अलग पहचान है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन से पंजीयन की व्यवस्था है। साथ ही पंजीयन में नॉमिनी की भी व्यवस्था की गई है। आधार विहीन, वृद्ध एवं शारीरिक रूप से असक्षम किसानों के पंजीयन की भी व्यवस्था की गई है। नवीन व्यवस्था में एस.एम.एस. के स्थान पर स्लॉट बुकिंग का प्रावधान किया गया है।

उचित मूल्य दुकानों के संचालन को बेहतर बनाने प्राप्त सुझाव कार्य-योजना में होंगे शामिल

भोपाल : शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन को बेहतर बनाने के लिए प्राप्त सुझावों को कार्ययोजना में सम्मिलित किया जायेगा। यह निर्णय प्रदेश के नागरिकों को राशन वितरण की व्यवस्था संबंधी समिति की बैठक में लिया गया। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया के विधानसभा के कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में समिति के सदस्य खाद्य उपभोक्ता संरक्षण एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सुझाव दिए।

बैठक में एक दुकान एक सेल्समेन और शासकीय उचित मूल्य दुकानों के रोजाना समय पर खुलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सुझाव दिए गए। साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकानों के भवन सुनिश्चित करने के सुझाव पर कार्य-योजना बनाने के लिए कहा गया। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, एम.डी. नागरिक आपूर्ति निगम श्री तरूण पिथोड़े, संचालक खाद्य श्री दीपक सक्सेना और सहकारिता आयुक्त श्री संजय गुप्ता उपस्थित थे।

टोल फ्री नम्बर से खरीफ फसल बीमा की जानकारी ले सकते हैं किसान

भोपाल : किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री बी.एल. बिलैया ने भोपाल संभाग के सभी जिलों के समस्त कृषक बंधुओ से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत आगामी खरीफ सीजन में फसल बीमा दावा राशि से संबंधित अपना फार्मर आई.डी., एप्लीकेशन आई.डी., के.सी.सी. खाता क्रमांक की जानकारी बताकर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी भोपाल के टोल फ्री नंबर 1800-233-7115 पर फोन लगाकर अपने फसल बीमा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मसालों के निर्यात में विशेष स्थान बनाएगा मध्यप्रदेश :मुख्यमंत्री श्री चौहान

मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन आवश्यक

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मसालों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए बुरहानपुर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का किया शुभारंभ

30 अप्रैल को बुरहानपुर के हर गाँव में होगा जल महोत्सव

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की विकास दर, करंट प्राइजेस पर देश में सबसे अधिक रही है। यह 19.7 प्रतिशत है। इसमें सबसे अधिक योगदान कृषि का है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी परम्परागत फसलों के साथ अधिक लाभ वाली फसलें लेने के लिए किसानों को निरंतर प्रोत्साहित कर रहे हैं। बुरहानपुर ने मसाला फसलों के उत्पादन में विशेष स्थान बनाया है, यहाँ हल्दी, अदरक, धनिया, प्याज का बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। केला, गन्ना और कपास में भी बुरहानपुर अग्रणी है। फसलों के विविधीकरण से किसान का आर्थिक सशक्तिकरण संभव होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान बुरहानपुर में मसाला फसलों के उत्पादन, प्र-संस्करण और प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को आज निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है। इसमें सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सिंचाई का रकबा बढ़ने से उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा है। मध्यप्रदेश, गेहूँ के उत्पादन में देश में प्रथम है। बुरहानपुर जिला नगदी फसल लेने वाला जिला माना जाता है। यहाँ फल, फूल और औषधियों की खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मसालों के उत्पादन में देश का विश्व में सदियों से नाम रहा है। दुनिया के कई देश में भारत से मसाले जाते रहे हैं, इसमें दक्षिण के राज्य आगे रहे हैं। अब जिस गति से मध्यप्रदेश में मसालों की खेती हो रही है, उससे निश्चित ही बुरहानपुर सहित प्रदेश भी मसालों के निर्यात में अपना विशेष स्थान बनाएगा। इसके लिए उन्नत तकनीक का उपयोग कर उत्पादन के साथ पैकेजिंग, क्वालिटी कंट्रोल, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देना आवश्यक है। किसानों के साथ शासकीय एजेंसी और कृषि विशेषज्ञों को परस्पर समन्वय से कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है। खेती में कीटनाशक और फर्टिलाइजर के बढ़ते उपयोग से मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। पशुपालन और खेती को समन्वित कर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा सकता है। पारम्परिक रूप से बनने वाली गोबर की खाद और गौ-मूत्र से बनने वाले कीटनाशक का उपयोग फसलों के लिए सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि मसालों की खेती के साथ प्राकृतिक खेती में भी बुरहानपुर अपना विशेष स्थान स्थापित करेगा। ुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में हर घर में नल से जल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 अप्रैल को बुरहानपुर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पानी पंचायत का आयोजन किया जाएगा। जिले के प्रत्येक गाँव में जल महोत्सव भी होगा।

कार्यशाला में सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनिस सहित जन-प्रतिनिधि और अधिकारियों ने भाग लिया। बुरहानपुर के प्रभारी एवं पशुपालन एवं डेयरी तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल कार्यशाला में वर्चुअली सम्मिलित हुए। दो दिवसीय कार्यशाला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जबलपुर, केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान भोपाल, प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे, स्पाइस बोर्ड केरल और भारतीय मसाला अनुसंधान केन्द्र केरल के विशेषज्ञ शामिल हुए।

इण्डो-इजराइल प्रोजेक्ट में हरदा में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस - मंत्री श्री पटेल

इजराइल दूतावास के कृषि प्रतिनिधियों से हुई वर्चुअल मीटिंग

भोपाल :किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने निमाड़-मालवा, नर्मदा घाटी क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक जिलों के किसानों को उन्नत तकनीक से लैस करने के लिये इजराइल दूतावास के कृषि प्रतिनिधियों से वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में तय हुआ कि मध्यप्रदेश में माइक्रो इरीगेशन और हाईटेक एग्रीकल्चर के लिये तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हरदा में खोले जाने की कार्यवाही की जायेगी। मीटिंग में इजराइली प्रोजेक्ट प्रमुख श्री एयर एशल, समन्वयक सुश्री अनुमेहा भारद्वाज, वैज्ञानिक श्री ब्रह्मदेव, एसीएस हॉर्टीकल्चर श्री जे.एन. कंसोटिया मौजूद थे।

मंत्री श्री पटेल ने इजराइली दूतावास के कृषि संबंधी प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें निमाड़-मालवा क्षेत्र में मसाला, औषधीय और फूलों की खेती के लिये उपयुक्त वातावरण से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इजराइली तकनीक के हस्तांतरित होने से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। क्षेत्र के किसान पूर्व से ही नवाचार कर उत्पादन लागत को कम करते हुए अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इजराइली तकनीक से इसमें इजाफा होगा। मीटिंग में इजराइली तकनीक हस्तांतरण के लिये अधिकृत कम्पनी 'माशव' के प्रतिनिधियों ने कहा कि शीघ्र ही हरदा एवं आसपास के क्षेत्रों का सर्वे किया जायेगा। सर्वे के बाद हरदा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जायेगा।

मध्यप्रदेश में इजराइली सहयोग से उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिये छिंदवाड़ा और मुरैना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। तीसरा सेंटर हरदा में खुल जाने से निमाड़-मालवा एवं नर्मदा घाटी क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों, औषधीय फसलों और फूलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। कृषकों को नवीन तकनीक की जानकारी मिलेगी, जिससे कि फसल विविधता के साथ उत्पादकता और गुणवत्ता को भी बढ़ाया जा सकेगा।

107 वन धन केन्द्रों की स्थापना, 32 लघु वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित

वनवासियों की बढ़ेगी आमदनी

भोपाल : मध्यप्रदेश के जनजातीय बंधुओं की आमदनी बढ़ाने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार अनूठी कार्य-योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। अराष्ट्रीयकृत लघु-वनोपज का संग्रहण, भंडारण, प्र-संस्करण और विपणन से जुडे वनवासियों के आर्थिक तथा कौशल उन्नयन के लिये सुविचारित प्रयास किये जा रहे हैं।

वनमंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि वनवासियों के हित में 32 लघु-वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। वनोपज की खरीदी के लिए अपनी दुकान के नाम से 179 खरीदी केन्द्र तथा लघु वनोपज के 47 गोदामों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री वन-धन विकास योजना वनवासी समाज के लिये वरदान सिद्ध हो रही है। वन मंत्री ने बताया कि इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश की 19 जिला यूनियनों में 107 वन-धन केन्द्र क्लस्टर की स्थापना की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 15 स्व-सहायता समूह हैं। प्रत्येक स्व-सहायता समूह में 20 हितग्राही शामिल रहेंगे। इन केन्द्रों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वनोपज, कृषि एवं उद्यानिकी उपज का प्राथमिक प्र-संस्करण, पैकेजिंग तथा विपणन आदि कार्य हितग्राहियों द्वारा किये जाएंगे।

27 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्र स्थापित

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा विन्ध्य हर्बल्स ब्रान्ड के नाम से लगभग 350 प्रकार की औषधियों का निर्माण तथा विक्रय किया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में 27 संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों पर आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। भोपाल, औबेदुल्लागंज देवास, जबलपुर, बड़वानी, खंडवा, ओंकारेश्वर, बुरहानपुर, खरगोन, रीवा, पश्चिम सीधी, सतना, उत्तर बालाघाट, पश्चिम छिंदवाड़ा, पूर्व छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, उत्तर पन्ना, दक्षिण सिवनी, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, ग्वालियर, दक्षिण सागर, इंदौर, नई दिल्ली, डिंडोरी, छतरपुर और अनूपपुर में संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्र चल रहे हैं।

वन-धन केन्द्रों की स्थापना

सर्वाधिक वन धन केन्द्र 21 सतना में खोले गये हैं। अलीराजपुर में 2, उत्तर बालाघाट में 4, दक्षिण बालाघाट में 6, पूर्व छिंदवाड़ा में 2, पश्चिम छिंदवाड़ा में 2, डिंडोरी में 8, होशंगाबाद में 3, पूर्व मंडला में 6 पश्चिम मंडला में 6, उत्तर पन्ना में 5, दक्षिण पन्ना में 1, उत्तर सिवनी में 6, दक्षिण सिवनी में 6, उत्तर शहडोल में 8, श्योपुर में 2, सीधी में 7, सिंगरौली में 7 और उमरिया में 5 वन धन केन्द्र संचालित हैं। राष्ट्रीयकृत लघु-वनोपज के शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि से औषधीय एवं लघु वनोपज प्रजातियों के पौधा-रोपण, संवर्धन एवं क्षेत्र विकास के कार्य प्राथमिकता से किये जाते हैं। साथ ही लघु वनोपज के संवहनीय दोहन, प्राथमिक प्र-संस्करण, भंडारण एवं विपणन पर जिला युनियनों में कुशल संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। अलीराजपुर में 2, उत्तर बालाघाट में 4, दक्षिण बालाघाट में 6, पूर्व छिंदवाड़ा में 2, पश्चिम छिंदवाड़ा में 2, डिंडोरी में 8, होशंगाबाद में 3, पूर्व मंडला में 6 पश्चिम मंडला में 6, उत्तर पन्ना में 5, दक्षिण पन्ना में 1, उत्तर सिवनी में 6, दक्षिण सिवनी में 6, उत्तर शहडोल में 8, श्यापुर में 2, सीधी में 7, सिंगरौली में 7 और उमरिया में 5 वन-धन केन्द्र संचालित हैं।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने अबगांव-खुर्द में चना उपार्जन केन्द्र का किया शुभारम्भ

भोपाल : किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा के ग्राम अबगांव-खुर्द में चना उपार्जन केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होने नवनिर्मित वेयरहाउस का लोकार्पण भी किया। कृषि मंत्री श्री पटेल ने समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिये आने वाले पहले किसान का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उपार्जन कार्य के लिये लगाये गये इलेक्ट्रानिक तौल कांटे का पूजन भी किया। स्थानीय किसानों ने कृषि मंत्री श्री पटेल को फलों से तौल कर सम्मानित किया।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में नित-नये निर्णय ले रही है,जिससे फसल की लागत घट रही है और कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिये प्रदेश सरकार कृत-संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को फसल बीमा के तहत बीमा दावा का भुगतान के साथ राजस्व पुस्तक परिपत्र के नवीनतम प्रावधानों के तहत किसानों को राहत राशि का भुगतान भी किया जा रहा है।

खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य

सीहोर : खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अंतर्गत समस्त प्रकार के छोटे-बड़े खाद्य कारोबार कर्ताओं को खाद्य लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन लेना कानूनन अनिवार्य है। बिना लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 6 माह की सजा एवं अधिकतम 2 लाख रूपये तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये से अधिक का खाद्य कारोबार करते हैं उन्हें लायसेंस लेना है जिसके लिये 2 हजार रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज नक्शा, आधार कार्ड की फोटोकापी, दुकान के पते का दस्तावेज, बिजली बिल साथ में लाना होगा। ऐसे खाद्य कारोबारकर्ता जो सालाना 12 लाख रूपये तक का खाद्य कारोबार करते हैं। उन्हें रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) लेना अनिवार्य है। जिसके लिये 100 रूपये का शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। लायसेंस एवं पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, मीट मटन विक्रय के लिए नगर पालिका, ग्राम पंचायत की एनओसी साथ में लाना होगा।

रबी विपणन वर्ष 2022-23 समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन हेतु स्लॉट बुकिंग प्रारंभ

कलेक्टर ने किसानो से समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय के लिए शीघ्र स्लॉट बुक करने अपील की

राजगढ़ : रबी विपणन वर्ष 2022-23 कृषकों को समर्थन मूल्य पर गेहू विक्रय करने हेतु एस.एम.एस. के इंतजार को समाप्त करते हुए कृषक द्वारा उपज विक्रय करने के लिए अपने उपार्जन केन्द्र का चयन एवं उपज विक्रय की तिथि स्वयं ई-उपार्जन पोर्टल पर कर सकेगे। जिसकी व्यवस्था निर्धारित की गई है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा। जिसके अनुसार प्रति तौल कांटा प्रतिदिन 250 क्विंटल के मान से गणना की गई है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन न्यूनतम 1,000 क्विंटल उपज की तौल हेतु 4 तौल कांटे आवश्यक रूप से लगाए जाने एवं उपार्जन केन्द्र पर गेहूं की आवक अनुसार तौल काटों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए है। जिसकी तत्समय पोर्टल पर प्रविष्टि की जा सकेगी। कृषकों द्वारा 23 मार्च, 2022 से स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan.nic.in पर की जा सकेगी । इस लिंक की जानकारी एस.एम.एस. के माध्यम से कृषक के मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल, एम.पी. ऑनलाईन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्रा इन्टरनेट कैफे तथा उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा। जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा। कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने हेतु स्लॉट बुकिंग दो पारी में (प्रातः 9 से 1 बजे एवं अपरान्ह 2 से 6 बजे) की जा सकेगी। जिसमें से एक पारी का चयन किया जा सकेगा। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा एवं उपज विक्रय हेतु इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु आगामी 7 दिवस में फसल विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी एवं स्लॉट की वैधता अवधि 3 कार्य दिवस होगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु तहसील अंतर्गत (जहां कृषक की भूमि है) किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। जहां पर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा।

उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार लघु, सीमांत एवं बड़े कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी। जिसमें प्रतिदिन 100 क्विंटल से अधिक विक्रय क्षमता के 4 कृषक तक हो सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी। जिसमें कृषक द्वारा वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी। इसी मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी की जा सकेगी। इस संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाएगा। पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्र की क्रय योग्य क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होगी।

निर्धारित दिवस में उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होने पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस हेतु स्लॉट बुक करना होगा। कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केन्द्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की तिथि एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित की जाएगी तथा इसका प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा। कृषक द्वारा विक्रय की जाने वाली संपूर्ण उपज की स्लॉट बुकिंग एक समय में ही करनी होगी। आंषिक स्लॉट बुकिंग, आंषिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा। कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केन्द्र पर स्टॉल बुकिंग करने के उपरांत अन्य केन्द्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन, स्थानांतरण की सुविधा नहीं होगी।

बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं का नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

सिवनी। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी शिक्षा केंद्र नई दिल्ली एंव मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बीज सहकारी समितियों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष /संचालकों का तीन दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम दिनांक 24 मार्च से 26 मार्च 2022 जिला सिवनी मे आयोजित किया गया मुख्य अतिथि उपायुक्त सहकारिता सहायक आयुक्त विशेष अतिथि उप संचालक कृषि विभाग सिवनी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया कार्यक्रम मे पूर्व प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर, द्वय कृषि वैज्ञानिक, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला संध प्रबधक एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर के प्राचार्य द्वारा विषयों संबंधित जानकारी दी। मध्यप्रदेश राज्य बीज संध के प्रबंध संचालक श्रीमान ए. के. सिंह द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से प्रशिक्षार्थी को जानकारी प्रदान करते हुये प्रशिक्षार्थी की समस्याओं का समाधान किया और कार्य की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थीयो को अध्ययन भ्रमण कराया गया जिसमें ग्रेडिंग मशीनों के कार्य विधि के संबंध में जानकारी प्रदान कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

दुग्ध संघ के संबद्ध स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला आयोजित

भोपाल : दुग्ध व्यवसाय से संबद्ध स्टेक होल्डर्स की कार्यशाला भोपाल में हुई। इसमें भोपाल के दुग्ध उत्पाद वितरकों, केटरर्स और होटल व्यवसाइयों ने भाग लिया। अध्यक्षता भोपाल दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री आर.पी.एस. तिवारी ने की।

बताया गया कि नवीन वैक्यूम पनीर के निर्माण के लिए जबलपुर में अत्याधुनिक पनीर सयंत्र स्थापित किया गया है। साँची पनीर का निर्माण उच्च गुणवत्ता ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा हाईजेनिक कंडिशन में किया जाता है। ऑटोमेटिक मशीनों को वैक्यूम पैकिंग में स्ट्रालाइज पनीर का उत्पादन किया जाता है। वैक्यूम पैकिंग होने से साँची पनीर की शेल्फ लाईफ अब एक माह हो गई है।

कार्यशाला में बताया गया कि फुटकर विक्रेताओं को साँची पनीर की उपलब्धता कराने में भण्डारण की दृष्टि से सुविधा होगी। साँची वैक्यूम पनीर सेम्पल के रूप में उपलब्ध कराया गया। प्रतिभागियों को नवीन साँची वैक्यूम पनीर की गुणवत्ता एवं विभिन्न पैक साईज के संबंध में जानकारी दी गई। एमपीसीडीएफ, भोपाल दुग्ध संघ एवं जबलपुर दुग्ध संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सप्ताह में 5 दिवस खुले रहेंगे समस्त शासकीय कार्यालय, 30 जून तक प्रभावशील

विदिशा : समस्त शासकीय कार्यालय के कार्यदिवस सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) तक खुले रखने के आदेश की अवधि 30 जून 2022 तक बढ़ाई गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि 22 अक्टूबर 2021 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किए गए थे। उक्त आदेश दिनांक 31 मार्च 2022 तक प्रभावशील था। राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश दिनांक 30 जून 2022 तक प्रभावशील रहेगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए अधीनस्थों को भी इस संबंध में सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसान नरवाई का उपयोग खाद एवं भूसा बनाने में करें – श्री बिलैया

भोपाल :संयुक्त संचालक कृषि श्री बी.एल.बिलैया ने सभी जिलों के किसानों से आग्रह किया है कि नरवाई का उपयोग खाद और भूसा बनाने में करें । उन्होंने कहा कि किसान फसल काटने के पश्चात नरवाई में आग लगाकर उसे नष्ट करते है जिससे भूमि की उर्वरकता नष्ट होती है तथा अग्नि दुर्घटना की सम्भावना भी बनी रहती है। पर्यावरण विभाग द्वारा नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंधित करने दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया है।

कृषक उपलब्ध फसल अवशेषों को जलाने की बजाए उनको वापस भूमि में मिला देते है तो भूमि में कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि के साथ मिटटी के भौतिक गुणों में सुधार होता है अतः किसानों से अपील है कि खेतो में नरवाई बिल्कुल न जलाएं नरवाई का उपयोग खाद एवं भूसा बनाने में करें। फसल अवशेषें को जलाने के बजाए भूमि में मिला देने से काफी लाभ होता है। फसल अवशेंषो से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ भूमि में जाकर मृदा पर्यावरण में सुधार कर सूक्ष्मजीवी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। इससे खेत की उर्वरता बढती है। कंबाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मेनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर प्रयोग अनिवार्य रूप से करें l स्ट्रा रीपर यंत्र डंठलों को काटकर भूसे में बदले देता है।

इफको प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

एक बोरी यूरिया का दम एक बोतल नैनो यूरिया में- श्री महोलिया

शिवपुरी : विश्व की नम्बर एक सहकारी उर्वरक संस्था इफको के द्वारा जिला शिवपुरी में उर्वरक विक्रेताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गत दिवस को रीजनल मैनेजर इफको एमसी श्री विजय द्विवेदी, एम.पी.एग्रो के जिला प्रबंधक श्री रवीन्द्र झारिया एवं क्षेत्रीय अधिकारी इफको श्री आर.के.महोलिया के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया।कार्यक्रम में शिवपुरी जिले के 40 थोक एवं खुदरा उर्वरक विक्रेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में आर.के. महोलिया क्षेत्रीय अधिकारी इफको शिवपुरी के द्वारा अतिथियों तथा सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए शिवपुरी जिले में इफको द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।साथ ही इफको नैनो यूरिया के बारे में विस्तार से बताया कि इफको नैनो यूरिया की एक बोतल, एक बैग यूरिया के बराबर काम करती है एवं नैनो यूरिया विश्व में पहली बार भारत की सहकारी संस्था इफको द्वारा बनाया गया। इसका उपयोग कर भूमि में होने वाले खादों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है।नैनो यूरिया की 500 एम.एल की एक बोतल 2 बीघा के लिए पर्याप्त है, नैनो यूरिया का उपयोग 4 एम.एल प्रति लीटर पानी के हिसाब से करना है। नैनो यूरिया का पहला स्प्रे 30-35 दिन की फसल पर तथा दूसरा स्प्रे 45 से 50 दिन की फसल पर करना है तथा सभी विक्रेता बंधुओं को किसानों की सहायता के लिए बैटरी चलित स्प्रे पम्प प्रदाय किये गये।रीजनल मैनेजर इफको श्री विजय द्विवेदी के द्वारा इफको की कीटनाशक दवाईयो के बारे में तथा इफको उर्वरक व इफको कीटनाशक दवाइयों पर किसानों को दिये जाने वाले बीमा के बारे में विस्तार से बताया। इफको उर्वरक खरीदने पर एक लाख तथा इफको कीटनाशक दवाइयां खरीदने पर एक लाख का किसान का दुर्घटना बीमा हो जाता है। अन्त में इफको क्षेत्र प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया गया।

उपार्जन कार्यो के मापदण्डों से अवगत हुए वेयर हाउस संचालक

विदिशा : कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले में समर्थन मूल्य पर उपार्जित होने वाली फसले गेंहू, चना, मसूर के लिए निर्धारित मापदण्डो से वेयर संचालकों को अवगत कराया है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में पॉवर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर श्री भार्गव ने वेयर संचालकों से कहा है कि उपार्जन कार्य वेयर हाउसों पर ही संपादित हो ताकि अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकें। इस दौरान गोदाम संचालकों के क्या-क्या दायित्व होंगे। गोदाम संचालकों को भुगतान की प्रक्रिया, गोदाम संचालक द्वारा उपार्जन समिति के रूप में संपादित किए जाने वाले कार्य इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमति रश्मि साहू ने बताया कि जिले के सभी उपार्जन केन्द्र वेयर हाउसों पर संचालित किए जाएंगे इसके लिए 170 वेयर हाउसों का चिन्हांकन किया जा चुका है। गोदाम संचालकों को भुगतान योग्य राशि विगत रबी उपार्जन 2021-22 के अनुसार देय होगी तदानुसार प्रति क्विंटल पर कमीशन 27 रूपए, लेबर व्यय 11 रूपए, स्टीकिंग व्यय 12 रूपए इस प्रकार प्रति क्विंटल पर कुल पचास रूपए देय होगा। समीक्षा बैठक में वेयर हाउस संचालकों के द्वारा अपनी मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करया है।

हायर डिप्लोमा इन को-आपरेटिव मैनेजमेंट प्रथम ऑन लाइन सत्र 2021-22 सम्पन्न

भोपाल। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें म.प्र की स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल के द्वारा प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन एवं राज्य सहकारी शिक्षा अधिकारी श्री संजय सिंह के मार्गदर्शन में हायर डिप्लोमा इन को–आपरेटिव मैनेजमेंट (20 सप्ताह) प्रथम ऑनलाइन सत्र 2021–22 का आयोजन माह नवम्बर 2021 से माह मार्च 2022 तक किया गया। सत्र में प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं/जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं अन्य सहकारी संस्थाओं के 31 प्रतिभागी शामिल हुए। उक्त कार्यक्रम का संचालन सत्र समन्वयक श्री गणेश प्रसाद मांझी, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द भोपाल द्वारा किया गया। आयोजित सत्र में सहकारिता, सहकारी प्रबंधन एवं बैंकिंग, वित्तीय लेखांकन एवं अंकेक्षण, सहकारी कार्यप्रणाली का वैधानिक प्रशासन, व्यवसाय विकास नियोजन एवं वित्तीय प्रबंध तथा कम्प्यूटर प्रबंध एवं सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें – श्री श्रीकुमार जोशी, से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री पी.के एस. परिहार, से.नि. वरि. प्रबंधक, अपेक्स बैंक, श्री ए.के. जोशी, पूर्व प्राचार्य, श्रीमती रेखा पिप्पल, लेखाधिकारी, श्री व्ही.के. बर्वे, प्राचार्य,सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर श्री दिलीप मरमट, प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द इंदौर श्री शिरीष पुरोहित, कम्प्यूटर प्रशिक्षक इंदौर, डॉ. आनंद पराड़कर, सीए, श्री एस.के. चतुर्वेदी, पूर्व प्राचार्य द्वारा निर्धारित विषयों पर व्याख्यान दिया गया। प्रशिक्षण में संघ के सभी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से सत्र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

पशुधन बीमा योजना

पशुधन बीमा योजना पशुपालकों को उनके पशुओं हेतु बीमे की सुविधा प्रदान कर, दुधारु/गैर दुधारु/अन्य पशुओं की मृत्यु से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति करना एवं होने वाली आर्थिक हानि को रोकना है। योजना की क्रियान्वयन इकाई मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से पूर्व संचालित पशुधन बीमा योजना प्रारुप में संशोधन कर, पशुधन बीमा को रिस्क मैनेजमेंट के रुप में राष्ट्रीय पशुधन मिशन में शामिल किया गया है, जिसमें मध्यप्रदेश के समस्त जिले शामिल किए गए हैं। अब यह योजना गरीबी रेखा से ऊपर वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 25 प्रतिशत, राज्यांश 25 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत हितग्राही अंशदान से तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वाले हितग्राहियों हेतु केन्द्रांश 40 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत एवं हितग्राही अंशदान 30 प्रतिशत पर संचालित की जा रही। वर्तमान में ओरिएंटल इंश्योरंस कम्पनी लि. द्वारा पशुधन बीमा का कार्य किया जा रहा है।

पशुधन बीमा योजनांतर्गत चयनित पशु

किसी अन्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले पशु इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। सब्सिडी का लाभ प्रति लाभार्थी पांच बड़े पशुओं या दस छोटे पशु तक सीमित किया गया है और अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक एक पशु के एकमुश्त बीमा के लिए दिया जाना है। योजना में दो प्रकार पशुओं का बीमा किया जाना है। बड़े पशु और छोटे पशु, बड़े पशुओं में अधिकतम पांच गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर, और छोटे पशुओं में बकरी, भेड़, सूकर, खरगोश इत्यादि का चयन किया गया है। पशु बीमा हेतु पशु की आयु का निर्धारण किया गया है जैसे कि दुधारु गाय देशी व सकर क्रास ब्रीड के लिये 2-9 वर्ष, दुधारु भैंस, बैल, भैंसा, सान्ड (प्रजनन हेतु) के लिये 3-10 वर्ष, भारवाहक पशु घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर के लिये 2-8 वर्ष , बकरी, भेड़, सूकर के लिये 1-4 वर्ष है।

पशुधन बीमा द्वारा चयनित हितग्राही

प्रत्येक परिवार पांच युनिट पशुओं का बीमा करा सकता है। एक यूनिट से आशय एक बड़ा पशु अथवा दस छोटे पशु से है। एक परिवार से आशय पति-पत्नी और आश्रित बच्चों से है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/बीपीएल को एक वर्ष या 3 वर्ष के लिये 30 प्रतिशत प्रीमियम के साथ तथा/ एपीएल को 50 प्रतिशत प्रीमियम के साथ बीमा कराने का अवसर प्रदान किया गया है। एक साल के लिये प्रीमियम की दर 2.92 प्रतिशत व 3 साल के लिये 7.34 प्रतिशत रहेगी।

बीमा कराने की अवधि-1 या 3 साल

बीमा कवरेज- इस योजना के अंतर्गत कवरेज पशु की बीमारी से मृत्यु एवं दुर्घटना मृत्यु को शामिल किया गया है। पशु की बिमारी से मृत्यु या सामान्य मृत्यु का कवरेज बीमा कराने के 15 दिन पश्चात ही प्रारम्भ होगा। बीमा हो जाने के पश्चात प्रारम्भिक 15 दिवस के अंदर केवल दुर्घटना मृत्यु जैसे वाहन से टकराना, बिजली का करंट लगना। आग लगना प्राकृतिक आपदा का शिकार हो जाना इत्यादि का कवरेज शामिल किया गया है। पशु की चोरी का कवरेज शामिल नहीं किया गया है।

बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा देय)।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति।
3. प्रीमियम राशि- बीमाकर्ता का हितग्राही अंश।
4. अनुसूचित जाति/अनु. जन जाति/ बीपीएल प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग पर लागू नही)।
5. पशु का टैग सहित लाभार्थी के साथ फोटो एवं पशु के चारों तरफ से साफ फोटो।
6. लाभार्थी को पशु के जीवित अवस्था के दौरान लगाये गये टेग के चित्र की छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखना अनिवार्य है।

मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग की योजना

बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई का प्रदाय (योजना सभी वर्ग के लिए)

क्र.	योजना	विवरण
1.	उद्देश्य	देशी बकरियों में नस्ल सुधार लाना। हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। मांस तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
2.	योजना	सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये। हितग्राही को बकरी पालन का अनुभव हो। योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है।
3.	हितग्राही	सभी वर्ग के भूमिहीन,कृषि मजदूर,सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिये।
4.	योजना इकाई लागत	

क्र.	विवरण	(10+1) बकरी इकाई
1.	देशी स्थानीय नस्ल की बकरी दर 6000/- प्रति बकरी	60000
2.	1 जमुनापारी/बारबरी/सिरोही/बीटल बकरा	7500
3.	बीमा राशि 10.35 प्रतिशत के दर से 5 वर्ष के लिये	6986
4.	बकरी आहार 3 माह के लिये 250 ग्राम प्रतिदिन रू 12/- प्रतिकिलो	2970
	योग	77456

5.	अनुदान प्रति इकाई अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रु. 46474	60 प्रतिशत अनुदान
	सामान्य वर्ग के लिये 40 प्रतिशत अनुदान रु. 30982	
	इकाई लागत का 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान, शेष बैंक ऋण	
6.	चयन प्रक्रिया	हितग्राहियों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहियों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशुपालन विभाग अनुमोदित प्रकरण को स्वीकृति हेतु बैंक को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
7.	संपर्क	संबंधित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी/उपसंचालक पशु चिकित्सा।

पशु के बाजार मूल्य का निर्धारण

इस योजना के तहत, संकर नस्ल और उच्च उपज देने वाले मवेशियों और भैंसों का उनके वर्तमान बाजार मूल्य पर बीमा किया जाता है, जिसका मूल्यांकन लाभार्थी, अधिकृत पशु चिकित्सक और बीमा एजेंट द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। एक पशु का उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अधिकतम मूल्य पर बीमा किया जा सकता है।

बीमित पशु की पहचान

पॉलिसी लेते समय ईयर टैगिंग की पारंपरिक विधि हालिया तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पहचान चिह्न लगाने का खर्च बीमा कंपनियों द्वारा वहन किया जा सकता है या पशु चिकित्सालय से प्राप्त टैग का इस्तेमाल किया जा सकता है । बीमा की वैधता अवधि के दौरान पशु की बिक्री या अन्यथा पशु को एक मालिक से दूसरे में स्थानांतरित करने के मामले में, बीमा पॉलिसी की समाप्ति से पहले, पॉलिसी की शेष अवधि के लिए लाभार्थी का अधिकार नए मालिक को स्थानांतरित करना होगा।

दावों का निपटान

पशु की मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी को तुरंत सूचना दें एवं बीमा कम्पनी को सूचना देने के उपरांत मृत पशु के शव को अधिकतम 24 घंटे तक बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के निरीक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाना होगा। पोस्ट मोर्टम की कॉपी देना आवश्यक है (पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा देय) पशु टैग का जमा कराना एवं मृत पशु का टैग सहित फोटो देना आवश्यक है पासबुक की सत्यापित छाया प्रति देना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना से पशु मृत्यु की स्थिति में अपने नजदीकी पुलिस थाना/चौकी में सूचित करना अनिवार्य है। अगर पशु की मृत्यु पशु चिकित्सालय में हुई हो तो विभागीय ओपीडी की स्लीप देना आवश्यक है।

(पृष्ठ 1 का शेष)

खाद्यान्न पर्ची के लिए हितग्राही ....

उचित मूल्य दुकान से मिलेगा फोर्टिफाइड आटा

प्रदेश सरकार उचित मूल्य दुकान से गेंहूँ के स्थान पर फोर्टिफाइड आटे का वितरण करेगी। इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, केरल और पश्चिम बंगाल में पीडीएस के तहत आटे का वितरण किया जा रहा है। गेहूँ से आटा बनाने में 552 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय आएगा। पायलट प्रोजेक्ट के परिणाम स्वरूप इस योजना को आगे निरंतर किया जा सकेगा। इन दुकानों से अभी फोर्टिफाइड चावल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना

खाद्य मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में 20 जिलों के 89 विकासखंड के 6876 आश्रित ग्रामों के 8 लाख 57 हजार परिवार को राशन वितरित किया गया। इस योजना के तहत 19 हजार 650 मीट्रिक टन खाद्यान्न स्थानीय जनजातीय वर्ग के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए वितरित किए गए।

(पृष्ठ 1 का शेष)

गेहूं निर्यात को बढ़ावा देने ....

प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्ट हाउस के लिए यदि निर्यातकों को जगह की जरुरत होगी, तो अस्थाई तौर पर रियायती दरों पर मुहैया करवाएंगे। यही नहीं निर्यातक को गेहूं की ग्रेडिंग करना पड़ी तो इसके खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। निर्यातक किसी भी पोर्ट से अपना निर्यात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे ने भरोसा दिया है कि रैक की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन निर्णयों से निर्यात बढ़ेगा और मध्यप्रदेश के किसानों को फायदा होगा।

ग्रेनएक्स इंडिया-2022 में प्रदर्शित हुई आधुनिक मशीनें

इंदौर। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा दाल, अनाज एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अत्याधुनिक मशीनों की प्रदर्शनी 'ग्रेनएक्स इंडिया-2022 का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगु भाई पटेल ने किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, विधायक श्री महेंद्र हार्डिया , इंदौर के पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी मोघे , मध्य प्रदेश के अनाज संघ के अध्यक्ष श्री गोपाल अग्रवाल एवं अकोला के दालमिल के अध्यक्ष श्री रमेश सुरेखा एवं कई जिलाधिकारी भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री मंगु भाई पटेल ने अपने उद्बोधन में एसोसिएशन की सराहना करते हुए प्रदर्शनी की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। मोटे अनाजों का उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ा है। इस आयोजन में ऐसी नई मशीनें प्रदर्शित की गई हैं, जिनसे गुणवत्तायुक्त दालें और उच्च स्तरीय प्रोडक्ट मिलेंगे। उद्योग संचालकों और उपभोक्ताओं दोनों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि दाल मिल एवं इसी तरह के अन्य उद्योग संचालक इस प्रदर्शनी के माध्यम से वे अपने देश की ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों की मशीनें भी एक ही स्थान पर देख पा रहे हैं। इससे उन्हें परेशानी भी कम होगी। दाल मिलों व उद्योगों का यह सराहनीय प्रयास है।

ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सुरेश अग्रवाल ने बताया कि दाल, सोयाबीन, चना, चावल, गेहूं, मसाला सहित अनाज उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और आधुनिकीकरण संबंधी सभी जानकारी को एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें देश-विदेश की 100 से ज्यादा कंपनियों ने भाग लिया है। दाल मिलिंग, पैकेजिंग, क्लीनर ग्रेडर से लेकर मैग्नेटस बनाने वाली कंपनियां तक इनमें शामिल हैं। प्रदर्शनी में चीन, जापान, तुर्की सहित अन्य देशों की अनेक नामी कंपनियों के साथ भारत के चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, राजकोट, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली सहित अनेक शहरों के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की मशीन निर्माता कंपनियां अपनी अत्याधुनिक मशीनों (उत्पादों) का लाइव डेमो दे रही हैं।अनाज उद्योग की बढ़ती जरूरतों के लिए व्यापार का विस्तार करने और बाजार का पता लगाने के लिए ग्रेनएक्स इंडिया एक बड़े मंच के रूप में सभी के सामने है।

गौरतलब है कि इस प्रदर्शनी में 12 दाल मिलिंग (टर्नकी प्लांट) बनाने वाली कंपनियों ने भाग लिया है। इनके अतिरिक्त 12 से अधिक कलर सोर्टर, पैकेजिंग की समस्याओं के समाधान हेतु 9 कंपनियां, क्लीनर ग्रेडर के स्टोनर व एलीवेटर बनाने वाली 15 कंपनियां, सीड्स प्रोसेसिंग की 14 कंपनियां, ग्रेन की क्वालिटी जांच हेतु चार लैब इक्विपमेंट कंपनियां, ड्रायरस कंपनियां, प्री-इजानेरिंग्स बिल्डिंगरा बनाने वाली कंपनियां, सात ग्रेविटी सेपरेटर बनाने वाली कंपनियां, भंडारण की समस्याओं के समाधान हेतु छह साइलो कंपनियां, मैग्नेटस बनाने वाली कंपनियां, 5 गियर बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, चार से अधिक इलेक्ट्रिक पैनल बनाने वाली कंपनियां, स्पाइसेस निलिंग कंपनियां आदि अपने उत्पादों का प्रदर्शन और लाइव डेमो कर रही हैं। इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश ,छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों से दाल मिल व्यापारी एवं अनाज व्यापारी शामिल हो रहे हैं। दाल मिलर्स/फ्लोअर मिल एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करणकर्ता व्यापारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी में जानकारी हासिल कर सकते हैं, मशीनें खरीद सकते हैं और अपनी व्यापार, उद्योग को नई उड़ान दे सकते हैं।

अपेक्स बैंक ने फसल बीमा की राशि रुपये 70,228.24 लाख किसानों के खातों में जमा कराई

भोपाल। दिनांक 23 मार्च 2022 म.प्र. शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को जो रबी 2020–21 में फसल बीमा का लाभ प्रदाय किया गया है। प्रदेश के कुछ कृषकों की राशि तकनीकी कारणों से उनके खातों में नहीं पहुंची। यह तथ्य संज्ञान में आने पर प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों की वी.सी. के माध्यम से गहन समीक्षा की जाकर किसानों के खातों में तत्काल बीमा राशि अंतरित करने के निर्देश दिये गये, ताकि किसानों का हित प्रभावित न हों, प्रदेश में 381153 किसानों की 70228.24 लाख की राशि उनके बचत खातों में जमा करा दी गयी है एवं कृषकों को बीमा का लाभ प्रदाय कर दिया गया है।

आस्था महिला बैंक का सेमीनार

भोपाल। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नईदिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल द्वारा ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक विकास विषय पर सेमीनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में डॉ. उषा खरे, प्राचार्य, शासकीय कन्या शाला, जहांगीराबाद मौजूद थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरती बिसारिया, अध्यक्ष आस्था महिला नागरिक सहकारी बैंक द्वारा की गई। इस मौके पर संचालक हरिन्द्र कौर, तुलसी व कल्पना खरे के साथ गेस्ट स्पीकर शिक्षाविद राजेन्द्र सक्सेना व समाजसेविका सीमा सक्सेना सहित बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक दुबे मौजूद रहे। कार्यक्रम में करीब 70 महिलाओं ने हिस्सा लिया।

नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर का लोकार्पण

भोपाल। पशुपालन मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर में नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर की नवीन निर्मित गाय एवं भैंसों के शेडों का लोर्कापण किया। इस मौके पर अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम श्री जसमंत सिंह जाटव और विधायक श्री सीताशरण शर्मा उपस्थित थे। अतिथियों ने शेड का अवलोकन एवं भारतीय नस्ल की 13 गाय एवं भैंसों की 4 नस्लों का अवलोकन किया।

पशुपालन मंत्री भारत की विभिन्न क्षेत्रों की नस्लों का संवर्धन एवं संरक्षण कार्य की प्रशंसा की। प्रबंध संचालक डॉ. एच.वी. एस. भदौरिया ने नेशनल कामधेनू ब्रीडिंग सेंटर परियोजना के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो नस्ल विलुप्त हो रही हैं, उनका संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव पशुपालन एवं डेयरी श्री जे.एन कंसोटिया भी उपस्थित थे। संचालक पशुपालन डॉ. आर.के. मेहिया ने आभार माना।

आजादी के अमृत महोत्सव पर राज्य सहकारी संघ में निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम

भोपाल। आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के तहत आजादी के 75 वें अमृत महोत्सव की बेला में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी आंदोलन को सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु सहकारिता विभाग के स्तम्भ प्रदेश के सहकारी निरीक्षकों एवं पैक्स समितियों के प्रबंधकों के लिए आयुक्त सहकारिता श्री संजय गुप्ता व प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन के मार्गदर्शन में प्रभावी प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे है –

दिनांक 14 से 16 मार्च एवं 23 से 25 मार्च 2022 तक दो सत्र में सहकारी निरीक्षकों हेतु **गबन धोखाधडी एवं अंकेक्षण, विभागीय कार्य निष्पादन विषय पर प्रशिक्षण** दिया गया जिसमें – भारतीय दंण्ड संहिता के तहत गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत की व्याख्या एवं प्रावधान, वर्तमान में प्रदेश में प्राप्त महत्वपूर्ण गबन अपराधियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एवं अपराध पूर्व रोकथाम, भारतीय दण्ड संहिता के तहत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं दस्तावेज (सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में), गबन, धोखाधड़ी, अमानत में खयानत आदि प्रकरणों का न्यायालयीन निर्णय हेतु प्रमुख तथ्य समस्या एवं समाधान, संस्थाओं के वित्तीय पत्रको का परीक्षण तकनीकी पैरामीटर के आधार पर–सी.आर., ए.आर, एन. पी.ए एवं अन्य पैरामीटर पर कर प्रतिवेदन दर्ज करना, सहकारी संस्थाओं में गबन एवं धोखाधड़ी के मुख्य प्रकार एवं उनके तथ्यों का प्रकटीकरण (साख संरचना कें परिप्रेक्ष्य में), संस्थाओं के अंकेक्षण में सी.बी.एस. एवं डी.एम. आर. एकाउन्ट का परीक्षण करना एवं वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त करना, संस्थाओं के वित्तीय पत्रको के परीक्षण–निरीक्षण एवं टैक्स लायबलिटी (जी.एस.टी., इंकम टैक्स आदि) का परीक्षण एवं अंकेक्षण टीप में शामिल किया जाना, सहकारी संस्थाओं को हुई हानि की पूर्ति हेतु की जाने वाली विधिक कार्यवाही एवं अन्य पृथक वैधानिक प्रतिवेदन , वर्तमान में संस्थाओं के अंकेक्षण हेतु जारी अद्यतन परिपत्र एवं उनका पालन कर वित्तीय अनियमितताओं पर रोकथाम , प्रशासक, निर्वाचन अधिकारी,परिसमापक, अंकेक्षक, कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य निष्पादन, कर्तव्य पालन, उत्तरदायित्व, संवेगात्मक बुद्वि, वर्क लाइफ बैलेंस (समय, एवं तनाव प्रबंधन), पर आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेश के 20 प्रतिभागी उपस्थित रहे, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी माहों में भी निरन्तर आयोजित किये जाते रहेंगे।

पैक्स प्रबंधकों हेतु लीकेज (हानि) की रोकथाम एवं समर्थन मूल्य की खरीदी व आर्बीटेशन प्रकरण तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण दिनांक 21, 23, 24, 25 एवं 26 मार्च 2022 को एक–एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। जिसमे 233 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में पैक्स प्रबंधकों को पैक्स में लिकेज(हानि) के कारण एवं नियंत्रण के उपाय, पैक्स पर कर दायित्व, जीएसटी एवं आयकर का रिटर्नस तथा पैनाल्टी, समर्थन मूल्य खरीदी में क्षति की पूर्ति हेतु आर्बीट्रेशन के तहत दावा प्रस्तुत करना एवं प्रबंधक की भूमिका, आर्बीट्रेशन की प्रक्रिया, दावा प्रस्तुति हेतु वैधानिक कार्यवाही, समर्थन मूल्य खरीदी, बिल प्रस्तुत करना, क्लेम पत्रक तैयार करना एवं आडिट कराना आदि की प्रक्रिया एवं प्रबंधक की भूमिका विषयों पर विषय विशेषज्ञों – श्री जे.पी. गुप्ता से.नि. अपर आयुक्त, श्री श्रीकुमार जोशी से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री प्रदीप नीखरा, से.नि. संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, श्री पी.के.एस. परिहार, से.नि. वरि.प्रबंधक, अपेक्स बैंक, श्री अंशुल अग्रवाल एवं श्री योगेश जैन चार्टड एकाउंटेंट, श्री डी.के. सक्सेना व श्री अनूप शर्मा वरि. अधिवक्ता, श्री प्रदीप जोशी, से.नि. एजीएम अपेक्स बैंक, श्री अविनाश सिंह व श्री संजय सिंह, वरि.सहकारी निरीक्षक के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)

माध्यम - ऑनलाईन

योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह ऑनलाईन आवेदन/ प्रवेश की अंतिम तिथि – 30 अप्रैल 2022

कुल फीस - 20200/-

ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

संपर्क :-

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल

ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159

मो. 8770988938 , 9826876158

Website-www.mpscu.in, Web Portal-www.mpscuonline.in

Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006

फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053

Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001

फोन- 0761-2341338 मो. 9424782856 , 8827712378

Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव

जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201

फोन- 07685-256344 मो. 9630661773

Email - ctcnowgong@gmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।